बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि ७ फरवरी, १९६१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि ७ फरवरी १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION.

अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है जिसे मैं नामंजूर करता हूं।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—अध्यक्ष महोदय, बड़ा अत्याचार हुआ है।

अध्यक्ष—इसे आप अल्प-सूचित प्रश्न करके दे दें या इस पर गवर्नर ऐड्रेस या बजट के जेनरल डिसकसन और कट-मोशन के समय भी कह सकते हैं। मैं आपको समय दूंगा। लेकिन कार्य-स्थगन के रूप में मैं इसे नामंजूर करता हूं।

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ जिसे मैंने पिछले सत्र में दिया था।

अध्यक्ष—अभी उसके संबंध में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं चूंकि मेरे सामने अभी कागज नहीं है।

सभापति तालिका।

PANEL OF PRESIDING MEMBERS.

अध्यक्ष—विहार विधान-सभा नियमावली के नियम ११(१) के अनुसार मैं वर्त्तमान सत्र के लिये निम्नलिखित सदस्यों को सभापति का कार्य करने के लिये मनोनीत करता हूं:—

(१) श्री शकूर अहमद।

(२) श्री रामेश्वर प्रसाद महथा।

(३) श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल।

(४) श्रीमती मनोरमा देवी।

याचिका-समिति का गठन।

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE ON PETITIONS.

अध्यक्ष—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २२९(१) के अनुसरण में मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के अष्टम् सत्र की याचिका-समिति के सदस्यों तथा सभापति को ही सभा के नवम् सत्र के लिये भी उक्त समिति का सदस्य तथा सभापति मनोनीत करता हूं। मैं उनके नाम पढ़ देता हूं :—

(१) श्री विनोदानन्द झा—सभापति।
(२) श्री जगलाल चौधरी—सदस्य।
(३) श्री त्रिविक्रमदेव नारायण सिंह—सदस्य।
(४) श्री चुनका हेम्ब्रम—सदस्य।
(५) श्री सरदार मोहम्मद लतीफुर रहमान—सदस्य।

राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण का पटल पर रखा जाना।

LAYING ON THE TABLE THE STATEMENT REGARDING THE BILLS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT AND GOVERNOR.

अध्यक्ष—सभा सचिव उन विधेयकों का विवरण पढ़ें जिनपर राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति हो चुकी है।

सचिव—महोदय मैं पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित ऐसे विधेयक दिखलाये गये हैं जिन पर भारतीय संविधान के अधीन संघठित द्वितीय बिहार विधान-सभा के अष्टम् (नवम्बर-दिसम्बर, १९६०) सत्र की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति तथा राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान की है।

राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक।

(१) बिहार बिल्डिंग्स (लीज, रेन्ट एंड एविक्शन) कंट्रोल (अमेंडमेंट) बिल, १९६०—२५ जनवरी, १९६१ को अनुमत।

(२) मिनिमम वेजेज (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९६०—२८ जनवरी, १९६१ को अनुमत।

राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक।

(१) बिहार एप्रोप्रिएशन (नं० ३) बिल, १९६०—अनुमति की तिथि २० दिसम्बर, १९६०।

(२) बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९६०—अनुमति की तिथि २० दिसम्बर, १९६०।

(३) बिहार मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६०—अनुमति की तिथि २४ दिसम्बर, १९६०।

बिहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, युनिवर्सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर एँड रांची) अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स, १९६१ के निरनुमोदन का संकल्प।

RESOLUTION DISAPPROVING THE BIHAR STATE UNIVERSITIES (PATNA, UNIVERSITY OF BIHAR, BHAGALPUR AND RANCHI) AMENDMENT ORDINANCE, 1961.

*श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

"This Assembly do disapprove the Bihar State Universities (Patna, University of Bihar, Bhagalpur and Ranchi) Amendment Ordinance, 1961."

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं और मानता हूं कि ये जो ऑर्डिनेन्स बिहार सरकार ने राज्यपाल महोदय से मंजूर करवायी है इसकी आवश्यकता नहीं होती यदि गवर्नमेंट ने इस ऐक्ट के पास होने के बाद से ही मुस्तैदी से काम किया होता और ऐक्ट में निर्धारित जो समय है उसके अन्दर सीनेट और सिन्डीकेट का एलेक्शन कराया होता।

अध्यक्ष—तो आप यह मानते हैं कि काम समय पर नहीं होने के कारण इस कानून की आवश्यकता पड़ी।

श्री रमाकान्त झा—जी हां, मैं यह मानता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण जो इस हाउस का मैनडेट था वह पूरा न हुआ।

अध्यक्ष—तो क्या आपके कहने का मतलब है कि इसी कारण इस कानून को रद्द कर दिया जाय। इस तरह बहस करना तो मेरे ख्याल से इर्रेलिभेंट हो जाता है।

श्री रमाकान्त झा—तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि १२ जुलाई, १९६० को यह ऐक्ट इम्पोज हुआ और ११ जनवरी, १९६१ तक गवर्नमेंट ने इसपर काम नहीं किया और क्यों काम नहीं किया उसका कारण यह है कि ऐक्ट इम्पोज होने के साथ-साथ जितना फंड्स पटना युनिवर्सिटी और बिहार युनिवर्सिटी के डिसपोजल में थे उनको फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद उचित यह था कि सब फंड्स को चारो युनिवर्सिटियों में बांट दिया जाता लेकिन कई महीने तक यह काम नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि भागलपुर युनिवर्सिटी के उपकुलपति (व्हायसचांसलर) को यह कहना पड़ा:—

"I am sorry; I have not got money to purchase even a pin!"

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका यह सब कहना इर्रेलिव्हेन्ट है।

Why should you go into so much detail?

Shri RAMAKANT JHA: I am just stating the fact, Sir.

अध्यक्ष—गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया उसका समय तो बीत गया। अब सरकार समय मांगती है। आपका क्या कहना है कि समय नहीं दिया जाय कि यह क़ानून चले?

श्री रमाकान्त झा—हां यही कहना है कि ऑर्डिनेंस खतम हो जाय। तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह का समय आ गया कि रांची युनिवर्सिटी के व्हायसचांसलर को कहना पड़ा कि उनके पास बिलकुल पैसा नहीं है........।

अध्यक्ष—नहीं, नहीं, यह आपको कहना नहीं है।

श्री रमाकान्त झा—तो हुजूर, बयान करें, मैं वही कहूंगा।

SPEAKER : Why do you say so ? This is casting aspersions on the Chair.

Shri RAMAKANT JHA : No, Sir, I am not casting aspersions on the Chair.

I am only stating facts and I am only stating the reasons which led them to make such delay.

SPEAKER : What are your reasons ?

Shri RAMAKANT JHA : My reasons are that they delayed purposely and therefore they should not get time and there should be no Ordinance.

SPEAKER : And no Act ! That you cannot do.

Shri RAMAKANT JHA : Why not ?

SPEAKER : You can, of course, oppose the Ordinance.

Shri RAMAKANT JHA : I am moving for the disapproval of the Ordinance.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि रांची युनिवर्सिटी के व्हायसचांसलर को यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ा..........।

SPEAKER : No details please. It is sufficient to say that Government has delayed matters.

Shri RAMAKANT JHA : Why did the Government delay, am I not entitled to say that ? Can I not say that the House should disapprove of the Ordinance ?

SPEAKER : And disapproval means that no extension of time is to be allowed.

Shri RAMAKANT JHA : Before the commencement of this session, the Ordinance was prerfectly valid. But now, I do not want its extension.

और मैं क्यों एक्सटेंशन नहीं चाहता हूं वही मैं कह रहा हूं। अगर गवर्नमेंट इमिडियटली पैसा दे देती और समय पर एलेक्शन हो जाता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती।

SPEAKER : This has been sufficiently discussed. I would ask you to give some other argument.

श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि ऑर्डिनेंस का एक्सटेंशन मैं इसलिये नहीं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जिस लगन के साथ स्टेट युनिवर्सिटीज ऐक्ट को लाया था उसी लगन के साथ इसको इनफोर्स करने की चेष्टा करनी चाहिए थी। अगर ऐसी चेष्टा की जाती तो मैं समझता हूं कि इस ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इस ऑर्डिनेंस को लाकर गवर्नमेंट युनिवर्सिटीज के मामले में बिलकुल फेल कर गयी। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जिस समय यह बिल सदन में पेश था उस समय मैंने कहा था कि एपोर्शनमेंट क्लॉज में गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐक्ट को पास करने के बाद जितनी शीघ्रता से हो सकेगी उतनी शीघ्रता के साथ चारो युनिवर्सिटियों के बीच पटना और बिहार युनिवर्सिटी के स्टाफ को जहां रखना चाहते हों उसकी व्यवस्था करेंगे..........।

अध्यक्ष—यह कहां उसमें है?

श्री रमाकान्त झा—ऑर्डिनेंस में और ऐक्ट में है।

अध्यक्ष—ऑर्डिनेंस में नहीं है।

श्री रमाकान्त झा—मेरा यह कहना है कि चूंकि गवर्नमेंट ने बहुत ढीले किया इसलिये कि वह अपनी गोटी बैठाने में लगी रहे और खासकर हमारे डिपुटी मिनिस्टर साहब इस काम में लगे रहे कि किस आदमी को कहां बैठाया जाय..........।

SPEAKER : Is all this not irrelevant ?

Shri RAMAKANT JHA : That is in the Ordinance, Sir, I mean the distribution of staff.

तो मैं यह कह रहा था कि चूंकि ऐक्ट के कमेंसमेंट के बाद हमारे डिप्टी एडुकेशन मिनिस्टर अपने आदमियों को सभी युनिवर्सिटियों में रखने के लिये गोटी बैठाने में लगे रहे, सतरंज की चाल चलते रहे, इसलिये सारा काम शीघ्रता के साथ नहीं किया जा सका।

अध्यक्ष—शान्ति, This is imputing motive to a Member and you cannot do that.

Shri RAMAKANT JHA : I am not imputing motive. As a member of the Opposition Party, I consider it my duty to point out the lapses of Government.

SPEAKER : What you have said amounts to saying that certain lapses have occurred on the part of Government because of certain motive.

Shri RAMAKANT JHA: Yes, Sir.

SPEAKER: And that you cannot do. You cannot say that the lapses have occurred on account of a particular motive. I cannot approve of this.

Shri RAMAKANT JHA: What were the causes of the lapses I am only narrating.

SPEAKER: According to our rules, you cannot impute improper motive to a Member.

Shri RAMAKANT JHA: I am imputing motive to the Government.

SPEAKER: You can say: "This is your lapse; this is your misconduct."

Shri RAMAKANT JHA: All right, Sir......

SPEAKER: But not that "you are angry with me and therefore you are doing this or that".

Shri RAMAKANT JHA: Yes, Sir, that is what I was doing.

SPEAKER: I find that you are not understanding my point.

Shri RAMAKANT JHA: I understand you, Sir.

SPEAKER: You always try to impute motive; you have to argue without imputing any motive.

श्री रमाकान्त झा—मैं यह कह रहा था कि चूंकि गवर्नमेंट अपने एक सदस्य के आदमियों को पटना युनिवर्सिटी में बैठाने के लिये सतरंज की चाल चल रही थी....।

SPEAKER: Again, you say the same thing. If you repeat this, I will be forced to disallow it.

Shri RAMAKANT JHA: You are the Speaker; you can do that.

SPEAKER: You know, you are not to challenge my authority.

Shri RAMAKANT JHA: I am certainly not challenging your authority. मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि गवर्नमेंट के लोगों ने अपने आदमियों को युनिवर्सिटियों में बैठाने.......।

अध्यक्ष—और इसलिये देरी हुई।

If you insist on repeating this, it will have to be expunged.

Shri RAMAKANT JHA: Why do you say that, Sir? You dictate and I shall repeat your words. I am only seeking your protection. You dictate to me and I will follow that.

SPEAKER : As I have already told you, I cannot allow you to impute improper motive to a Member.

श्री कपिलदेव सिंह—अबतक तो खतम किये रहते।

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, उनको कहने दिया जाय।

He should be allowed to have his say. He may kindly be allowed to quote the lapses of the Deputy Minister.

श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, मेरी भावना..........।

SPEAKER : You should take note of my objection and then begin.

Shri RAMAKANT JHA : I am sorry, you have taken otherwise.

अध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेंस को डिसएप्रूव करने की भावना क्यों है? मैं तो यह कह रहा हूं कि जो सरकमस्टान्सेज क्रीएट किया गया अगर वह नहीं किया गया होता तो ऑर्डिनेंस के प्रमल्शन की बिलकुल आवश्यकता नहीं होती। अगर विवेक से काम लिया गया होता तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टान्सेज उपस्थित नहीं होती जिसके कारण गवर्नमेंट को यह एडवाईज करना पड़ा कि ऑर्डिनेंस निकाला जाय। चूंकि नार्मल प्रोसिड्योर काम में नहीं लाया गया इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिति पैदा हुई। मैं कहता हूं कि वह क्यों हुआ?

अध्यक्ष—आप तो मानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टान्सेज क्रीएट हुआ?

श्री रमाकान्त झा—सरकार को यह मालूम था कि प्रेसक्राइब्ड समय ६ महीने का

---

११ जनवरी को समाप्त होगा। फिर भी चारो विश्व विद्यालयों का एकेडेमिक कौन्सिल का निर्माण नहीं किया गया और इसलिये ऑर्डिनेंस बनानी पड़ी। इसलिये जो स्पेशल सरकमस्टान्सेज, एबनार्मल सरकमस्टान्सेज पैदा हुआ उसके पीछे इनका हाथ था। अगर गवर्नमेंट शीघ्रता से काम करती तो ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनेंस की प्रतियां सदस्यों को बांटी गयी है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में कहा गया है कि बहुत से मुकदमा पेश हैं और सिनेट, सिन्डीकेट, एकेडेमिक कौन्सिल का गठन नहीं हो सका। जितने भी केसेज हुए दिसम्बर में हुए। १२ जुलाई से ५ महीने के अन्दर कौन-सी बात हुई, कौन-सी विशेष परिस्थिति उपस्थित हुई कि इन सारे बॉडीज का गठन नहीं किया गया?

११ जनवरी को ही समय खतम हो गया। दिसम्बर के महीने में ही कुछ केस इन्स्टीच्यूट हुए थे जिनका एक्जैक्ट तारीख तो अभी मैं नहीं दे सकता। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि सरकार को इन सारी बातों को समझना चाहिये था कि क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उनका मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिए। हम उसी सरकार को एफीसीएन्ट कह सकते हैं जो पास्ट से लेशन ले, वर्त्तमान में काम करे और भविष्य पर विचार करके उसके लिये तैयार हो।

अध्यक्ष---भविष्य में क्या होगा, इसे कैसे एन्टीसीपेट किया जा सकता है?

श्री रमाकान्त झा---उसी सरकार को चतुर कहा जा सकता है जो भविष्य की बातों पर विचार करके पहले से ही उसका मुकाबला करने के लिये तैयार रहे। पिछले सेशन में ही युनिवर्सिटी बिल पास हुआ और ऐसी हालत में अब तक उसका सारा काम आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की ओर से समय पर फंड नहीं देने से एलेक्टोरल रौल तैयार नहीं हो सका और एलेक्टोरल रौल के तैयार नहीं होने से समय पर चुनाव नहीं हो सका और न युनिवर्सिटी के डिफेरेन्ट बॉडीज ही कायम हो सकी। आपने तो शीघ्रता से काम किया और पिछले अधिवेशन के शुरू में ही विधान-सभा से जो सदस्य सिनेट में चुने जाने वाले थे उनके चुनाव के लिये प्रस्ताव लाया और सदस्यों का चुनाव भी समय पर हो गया। आपने तो समय पर काम किया लेकिन सरकार की ओर से समय पर काम नहीं हो सका, समय पर युनिवर्सिटी को फंड नहीं दिया गया और समय पर काम नहीं होने से सरकार की ओर से इस अध्यादेश को जारी करना पड़ा। सरकार को इसके लिये पहले से सचेष्ट रहना चाहिए था और ऐक्ट के पास होते ही सभी काम तुरत हो जाना चाहिए था और ऐसा होने से सभी बॉडीज का गठन ११ जनवरी के पहले ही हो जाता और इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आज समय पर काम नहीं करने से इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता हुई। मैं कहता हूं कि सरकार के समय पर काम न करने से जो लैप्सेज हुए हैं और उनको दूर करने के लिये जो यह अध्यादेश लाया गया है उसे हमलोगों को अस्वीकार कर देना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि ६ महीना का समय बीत चुका है और इस अध्यादेश को अस्वीकार कर देने से एक रिक्त स्थान हो जायगा तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिये क्योंकि उसी के समय पर काम नहीं करने से यह स्थिति पैदा हुई है। ऐसा होने से इस सरकार के खिलाफ जनमत होगा और इसे अपनी जगह से हटना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोशन को पेश करता हूं।

*श्री कपिलदेव सिंह---अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो श्री रमाकान्त झा का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और ऐसा इसलिये कर रहा हूं कि इस तरह का ऑर्डिनेंस लाना अब इस सरकार के लिये एक साधारण काम हो गया है। संविधान की धारा २१३ में राज्यपाल को असाधारण स्थिति में अध्यादेश जारी करने का पावर है। जो एक संकटकालीन समय का मुकाबला करने के लिये पावर है, उसका इस्तेमाल यह मिनिस्ट्री उनसे हर समय में अब करवा रही है। जब पिछले समय जिला परिषद् को लेने के लिये एक अध्यादेश जारी हुआ था और उसकी स्वीकृति के लिये जब सदन के सामने एक प्रस्ताव लाया गया तब उस पर एतराज का जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि एक असाधारण परिस्थिति में उस अध्यादेश को जारी किया गया है और ऐसा करने के लिये सरकार के सामने मजबूरी थी। आइन्दे से ऐसा नहीं किया जायगा। लेकिन अभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गयी कि राज्यपाल को मजबूरन एक अध्यादेश जारी करना पड़ा और उसकी स्वीकृति के लिये सदन के सामने प्रस्ताव लाया गया और फिर एक बिल भी आवेगा। अगर सरकार की ओर से समय पर काम होता तो यह नौबत न आती।

इसलिये आपके माध्यम से हम अपने उप-मंत्री महोदय जो दरअसल में शिक्षा मंत्री हैं, उनसे यह आग्रह करूंगा कि इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए जिसमें सरकार की ओर से समय पर काम हो।

आपने होश के साथ अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है इसीलिए इसका दुरूपयोग हुआ है और इसी कारण से राज्यपाल महोदय को बाध्य होकर इस ऑर्डिनेंस को जारी करना पड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रमाकान्त झा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं और खास कर उप-शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि जरा वे होश के साथ काम करने की कोशिश करें और जो वादा सदन में करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें।

*श्री कृष्णकान्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद थी कि हमारे माननीय सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में बोलेंगे तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे और यह समझते हुए बोलेंगे कि सरकार का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए, युनिवर्सिटी का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए तथा सरकार का क्या लिमिटेशन है और युनिवर्सिटी का क्या लिमिटेशन है। मुझे अफसोस इसके लिए है कि माननीय सदस्य श्री कपिलदेव सिंह मुझे बराबर ही जोश और होश की शिक्षा देते हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरी उम्र उनसे कहीं अधिक है इसलिए होश की शिक्षा देना उनके लिए शोभता नहीं है। मैं बदहोश हो जाउं और वे भी बदहोश हो जायं, यह भी ठीक नहीं है तथा जोशखरोश में काम अच्छा नहीं होता है। होश के साथ काम अच्छा होता है। जब सरकार कोई विधेयक सदन के अन्दर लाती है या सरकार कोई भी स्टेप उठाती है तो होश के साथ उठाती है। सरकार में केवल एक मंत्री की बदहोशी या होश का सवाल नहीं उठता है, सवाल इसमें है सभी मंत्रियों और उप-मंत्रियों के होश का। माननीय सदस्य जो अकेले होते हैं वे बदहोशी में होश को खो बैठते हैं। माननीय सदस्य ने मेरी विवेकहीनता के बारे में कहा है। मगर यह नहीं कहा कि इस क्लॉज के नहीं रहने से कैसे काम चल सकता है। उनका सारा प्रयास यह साबित करने का रहा कि मेरी बदनियती और विवेकहीनता के कारण ऐसा हुआ।

अध्यक्ष---इस पर आप ज्यादा न बोलें। उनका कहना था कि वे ६ महीने में इस काम को कर सकते थे। लेकिन आप अब यह कहें कि ६ महीने में यह काम करना संभव नहीं था।

श्री कृष्णकान्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, ऐक्ट को सरकार ने पेश किया, ऐक्ट बना और उसको लागू किया गया। उसके बाद हमारा काम खतम हो गया। उसके बाद वाइस-चान्सलर का ऐप्वायन्टमेंट हो गया और चान्सलर ने उनकी नियुक्ति की। वाइस-चान्सलर का अप्वांयन्टमेंट होने के बाद उनकी यह जवाबदेही रही कि वे इस काम को चालू करें, जो बॉडीज बननी थी, वह बने। उनलोगों ने भी काम जारी किया और १२ जनवरी के पहले सारा काम खतम हो जाय, सारे बॉडीज फौर्म हो जायं, यह चाहा। लेकिन मेरे दोस्त भूल गए कि जब कोर्ट में केसेज चले गए तो सारा काम ठप्प पड़ गया, शासन ठप्प पड़ गया और अगर ऑर्डिनेंस नहीं होता तो डे-टू-डे वर्किंग स्टोप

हो जाता। मुझे शौक नहीं था कि ऑर्डिनेंस निकालें। गवर्नर या गवर्नमेंट को भी यह शौक नहीं था। वाइस-चान्सलर्स पागल नहीं हो गए थे, इसलिए कि ऑर्डिनेंस के बिना काम नहीं चल सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल पैसे की कमी के कारण ऐलेक्टोरल रौल नहीं बना और चुनाव नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब अखबार में वह स्टेटमेंट मैंने देखा तो भागलपुर के वाइस-चान्सलर साहब से पूछा कि क्या यह सच है कि आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि कतई नहीं। लेकिन मेरे भाई अखबार देखकर जोश में समझ लिया कि उप मंत्री ने पैसा रोक दिया। आप प्रोफेसर ठहरे और शायद प्रिन्सिपल भी हो गए। आपको तो हमसे अधिक जानना चाहिए था। ६ अगस्त १९६० और ७ सितम्बर १९६० को स्टेटुटरी ग्रान्ट दे दिया गया था तो कैसे पैसे की कमी हो गयी। मैं ऑथोरेटेटिव तौर पर कहता हूं कि वाइस-चान्सलर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया था। मैं यह भी कहता हूं कि हमारी तरफ से कोई लैप्सेज नहीं हुए। अगर कोर्ट में केसेज नहीं गए होते तो सवाल पैदा नहीं होता। आपने क्या किया और क्या कराया, वह मैं नहीं जानता लेकिन अगर कोर्ट में यह सवाल नहीं जाता तो यह बात नहीं उठती। मुझे यह अधिकार नहीं है कि कोर्ट को बन्द करा दूं या चीफ जस्टिस या डिस्ट्रिक्ट जज को हुक्म दे दूं यह मेरे अधिकार के बाहर की बात है।

आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के लिमिटेशन्स हैं और साथ-ही-साथ सरकार यह भी चाहती है कि जिस चीज को उसने बनाया है वह ठीक से चले। हमें इसका गौरव है कि पांच-पांच युनिवर्सिटीज बिहार को मैंने दी हैं। जैसे, जिस लड़के को आप पैदा करते हैं उसको आप चलते हुए देखना चाहते हैं, उसी तरह......

श्री रामानन्द सिंह—हुजूर, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने इस चीज को पैदा नहीं किया है, बल्कि हाउस ने किया है।

अध्यक्ष—पैदा करने का मतलब है स्पौनसर्ड।

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, सदन ने इसे पास किया तो इसे दर्द भी होना चाहिए। और दर्द के बाद जब पैदा किया तो इसे चलते हुए भी देखना चाहिए और खुश होना चाहिए। कोई घबड़ाने की बात नहीं है, केवल छः महीने की चीज थी जो कोर्ट के फैसले के कारण रुक गई थी, अब फैसला हो गया। काम होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई लैप्सेज नहीं हुए हैं या पैसा देने में कोई कोताही नहीं हुई है। मैं जो कौमिटमेंट करता हूं उसका पालन करने की कोशिश करता हूं, इसमें आपको बाधक नहीं होना चाहिए।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I want to have one information as to whether the Chancellor wrote to Government that such and such difficulties might arise or the Vice-Chancellor approached the Governor to have the ordinance so that the work may not suffer.

अध्यक्ष—इससे पहले उप-मंत्री यह बतलायें कि अदालत का आखिरी फैसला किस तारीख को हुआ?

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन इतना अवश्य याद है कि जनवरी महीने में किसी तारीख को फैसला हुआ है। ऐसा केस एक जगह नहीं था बल्कि रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना हाईकोर्ट में, सभी जगहों में केस हुआ। जिस दिन केस इंस्टीट्यूट हुआ उसी दिन हमें सारा काम बन्द कर देना पड़ा। चूंकि कई जगहों में केस था इसलिए सब के फैसले का इन्तजार करना पड़ा।

अध्यक्ष—इसके बाद आपने चान्सलर को अप्रोच किया?

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, हमने अप्रोच नहीं किया, वाइस-चान्सलर ने अप्रोच किया। एक वाइस-चान्सलर तो खुद यहां आये, दो वाइस चान्सलर ने लिखकर भेजा कि ऐसी परिस्थिति है और एक ने टेलिफोन पर कहा कि कोर्ट में केस गया है, सारा काम बन्द है इसलिए कोई रास्ता होना चाहिए।

Shri RAMCHARITRA SINHA: Whether the Chancellor wrote to the Government or the Vice-Chancellor? I want a clear answer.

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, डे-टू-डे वर्किंग के लिए यह काम वाइस-चान्सलर का है, चान्सलर को कंसल्ट नहीं किया जाता है। जवाबदेही वाइस चान्सलर की है कि एलेक्शन हो जाय और काम हो। वाइस-चान्सलर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा हुआ और चान्सलर और गवर्नर सौभाग्य से आपके प्रान्त में एक ही हैं। वाइस-चान्सलर के रिक्वेस्ट करने पर सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी करने को सोचा। गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और गवर्नर तथा चान्सलर एक ही हैं जैसा कि मैंने कहा।

Shri RAMCHARITRA SINHA: Sir, there is difference between the Chancellor and Vice-Chancellor. I want to know whether the Vice-Chancellor wrote to Government for ordinance or the Chancellor.

श्री कृष्णकान्त सिंह—हमने तो साफ कह दिया है हुजूर कि चान्सलर ने नहीं लिखा और मैं उनके लिखने की आवश्यकता भी नहीं समझता इसलिए कि डे-टू-डे वर्किंग में वाइस-चान्सलर की जवाबदेही है।

अध्यक्ष—वाइस-चान्सलर को सरकार को लिखना चाहिए था?

श्री कृष्णकान्त सिंह—चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए।

(अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार के लैप्सेज के कारण इसे नहीं लाना पड़ा। इसे देखा जाय कि किस तरह सरकार के लप्सेज के कारण इसे नहीं लाना पड़ा। इसमें ऐक्ट नहीं चैलेन्ज किया, ऐक्ट का कोई क्लॉज नहीं चैलेन्ज किया। चैलेन्ज किया गया क्या तो एलेक्टरल रौल। जिसको बुनियाद मान कर हमारे आ

जी कहते हैं कि पैसा नहीं दिया गया इसलिए चैलेन्ज हो गया। मैं पूछता हूं कि पैसा नहीं दिया तो यह बना कैसे। आप कहते हैं कि पैसा रहता तो एलेक्टरल रौल वन गया होता। मैंने पैसा दिया तभी तो एलेक्टरल रौल बना।

अध्यक्ष---राम चरित्र बाबू कह रहे थे कि चान्सलर और वाइस-चान्सलर.......

श्री कृष्णकान्त सिंह---चान्सलर साहेब से रिक्वेस्ट नहीं हुआ। वाइस-चान्सलर डे-टु-डे काम करते थे इसलिए यह उनका काम था। उन्होंने लिखा कि २४ दिसम्बर को चैलेन्ज हो गया है। चिट्ठी मिली २६ को जिस पर चीफ मिनिस्टर ने आॅर्डर दिया कि जांच हो और जांच हुई। जांच करने पर मालूम हुआ कि तिथि बढ़ानी पड़ेगी। इस चिट्ठी के बाद कैबिनेट ने फैसला लिया। इनजेंक्शन हो गया था इसलिए काम बन्द हो गया। इसमें कोई चीज बदली नहीं गई है, केवल ६ महीने को एक वर्ष किया गया है।

अध्यक्ष---राम चरित्र बाबू का जवाब है कि चान्सलर..........

श्री कृष्णकान्त सिंह---चान्सलर ने नहीं लिखा, वाइस-चान्सलर ने लिखा चान्सलर को और चान्सलर यानी गवर्नर ने आॅर्डिनेंस इसू किया।

श्री रामचरित्र सिंह---सभी वाइस-चान्सलरों ने लिखा या किसी एक ने ?

श्री कृष्णकान्त सिंह---तीन वाइस-चान्सलरों ने लिखा और एक वाइस-चान्सलर ने टेलिफोन किया हमको और चीफ मिनिस्टर को।

झा जी का कहना है कि सरकार ने लैप्सेज के कारण यह हुआ लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुकदमा भी सरकार से नहीं है। मुकदमा युनिवर्सिटी और पार्टी से है।

अध्यक्ष---अभी फैसला नहीं हुआ है क्या ?

श्री कृष्णकान्त सिंह---ऐड इन्टरिम हुआ है, कहीं कुछ हुआ है लेकिन हमको इसका पता नहीं है, केवल सुनी हुई बात कह रहे हैं। अभी एक आदमी कह रहे थे कि जुडीशियल कमिश्नर के यहां इंजकशन हो गया है। अगर यह नहीं होता तो युनिवर्सिटी का फंकशन बन्द हो गया होता।

अध्यक्ष---मगर इस तरह होता रहे तो कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री कृष्णकान्त सिंह---मुकदमा हो और इनजंकशन हो जाय तो हम या सदन क्या कर सकता है। जो आॅर्डिनेंस आएगा उसको उपस्थित किया जायगा और पास किय

जायगा ताकि लोगों का पढ़ना-लिखना बन्द न हो जाय। सीनेट तो दो दिन बाद भी हो सकता है। इसको पास करने में ही फायदा है, जल्दी-जल्दी कार्रवाई होगी।

श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा उप-मंत्री महोदय को यदि जरा भी ज्ञान होता तो वे समझते कि सरकार की नीति पर ही अपोजीशन का भी काम होता है। ऐसी बात नहीं है कि अपोजीशन का कोई सदस्य जो कुछ चाहे बोल दे। अपोजीशन के लोग भी, जो उनके पार्टी में फैसला होता है उसको लेकर ही कहते हैं।

अध्यक्ष—पार्टी की बात हम नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री रमाकान्त झा—आप ही कहते हैं कि पार्टी की ओर से एक ही अमेंडमेंट है। मेरा कहना है कि अपोजीशन के मेम्बर्स भी एक निर्णय को लेकर ही कोई बात कहते हैं। उन्होंने कहा कपिलदेव बाबू के बारे में कि उन्होंने निर्णय के आधार पर नहीं कहा।

अध्यक्ष—उन्होंने जो होश की बात कही उसे आपने भी अपना लिया?

श्री रमचरित्र सिंह—होश को अपना लिया मगर हवास को दोनों ने छोड़ दिया।

श्री रमाकान्त झा—हमारे शिक्षा उप-मंत्री ने यह साबित करने की कोशिश की कि सरकार के लैप्सेज के कारण यह नहीं हुआ बल्कि किसी दूसरे कारण से हुआ। ६ महीने के अन्दर युनिवर्सिटी की डिफरेन्ट बॉडी नहीं बन सकी वह सरकार के लैप्सेज के कारण नहीं हुआ बल्कि किसी दूसरे कारण से हुआ। यह बात गलत है और बिलकुल निराधार है। उन्होंने बताया कि ७ सितम्बर १९६० को पैसा दिया युनिवर्सिटी को ...

श्री कृष्णकान्त सिंह—पहले पैसा दिया ६ अगस्त १९६० को।

श्री रमाकान्त झा—१२ जुलाई को यह ऐक्ट लागू हुआ और उसके दो महीने के बाद आपने पैसा दिया युनिवर्सिटी को। पैसा मिलने के बाद ही तो युनिवर्सिटी कोई काम कर सकती है। यह जो मैंने कहा था कि पैसे के अभाव में एलेक्टरल रौल नहीं तैयार हो सका, एलेक्शन की तैयारी नहीं हो सकी यह भावना और भी प्रबल हो जाती है कि दो महीने के बाद पैसा मिला।

श्री कृष्णकान्त सिंह—१२ जुलाई से ६ अगस्त तक दो महीना कैसे हो गया?

अध्यक्ष—पैसे के बात पर बहस करना बेकार है। मुकदमा है, इंजेंकशन हुआ है। ११ जनवरी और उसमें कितनी अवधि होती जिसमें ऑर्डिनेंस नहीं इसू करना होता। इसमें पैसे का सवाल नहीं उठता है।

श्री रमाकान्त झा––जुलाई में पैसा दिया गया होता तो किसी प्रकार का इन्टरवेन्शन नहीं होता यह मैं कहना चाहता हूं। अगर होता भी तो इसका फैसला हो गया होता। सरकार ने जो उदासीनता की नीति वरती है वह प्रबल कारण था ऑर्डिनेंस इसू करने का।

उप-मंत्री के कथन से यह प्रमाणित हो जाता है और वे इस बात से इंकार भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह काम चान्सलर का है, हमने तो किया नहीं। मैं आपका ध्यान ऐक्ट की ओर ले जाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि "स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक एपोरशनमेंट टू दी डिफरेंट युनिवर्सिटीज"। इस ऐक्ट के पास होने के बाद ही स्टेट सरकार ने शीघ्रता के साथ स्टाफ का बंटवारा कर दिया। स्टेट सरकार में चान्सलर तो आते नहीं हैं। इसलिये यह कहना कि चान्सलर ने इस काम को किया, गलत है। यह कहना अच्छा होगा कि राज्य सरकार ने अपने आदमियों को वांटेज पोजिशन में रखा।

श्री कृष्णकान्त सिंह––एपोरशनमेंट और राज्य सरकार के कहने की क्या आवश्यकता है?

अध्यक्ष––मैंने आपको बार-बार कहा कि इस तरह का मोटिव नहीं लावें। जो चीज फिजिकल है उसको इन्टेंशन पर क्यों लाते हैं। आप कहिये कि ऐसा हुआ।

श्री रमाकान्त झा––अगर सरकार अपनी सारी शक्ति चुनाव करने में लगाती तो ज्यादा अच्छा होता।

अध्यक्ष––जिस दिन ऐक्ट पास हुआ उसी दिन चुनाव होता?

श्री रमाकान्त झा––यह मैं नहीं कहता हूं। दूसरी बात यह है कि कोर्ट से ऐड इन्टरिम इंजंक्शन हुआ वह भी ५, ६ दिन के लिये हुआ। इसके कारण चुनाव में देरी हुई यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। अगर फाइनल डिसिजन होता या कोर्ट के डिसिजन की प्रतीक्षा लेनी होती तो एक बात थी। सरकार का कहना कि इसी कारण से चुनाव नहीं हो सका, यह तो सरकार की कमजोरी को कभर करने का तर्क है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हाउस इस ऑर्डिनेंस को डिसएप्रुव करे।

अध्यक्ष––प्रश्न यह है:

That this Assembly disapproves the Bihar State Universities (Patna, University of Bihar, Bhagalpur and Ranchi) Amendment Ordinance, 1961.

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई :—

"हाँ"

श्री योगेन्द्र प्रसाद ।
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद वर्मा ।
श्री रूपलाल राय ।
श्री गंगानाथ मिश्र ।
श्री सभापति सिंह ।
श्री मृत्युंजय सिंह ।
श्री देवीलाल जी ।
श्रीराम जनम ओझा ।
श्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह ।
श्री देवेन्द्र झा ।
श्री रमाकान्त झा ।
श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल ।
श्री लखनलाल कपूर ।
श्री जेठा किस्कु ।
श्री बाबूलाल टुडू ।
श्री राम चरन किस्कू ।
श्री सुपाई मुर्मू ।
श्री उमेश्वर प्रसाद ।
श्री शाकुर बेसरा ।
श्री कामदेव प्रसाद सिंह ।
श्री बैन्जामिन हंसदा ।
श्री चाका हेम्ब्रोन ।
श्री महेन्द्र महतो ।
श्री मानराम सिंह ।
श्री प्रभु नारायण राय ।
श्री भोला माँतो ।
श्री कपिलदेव सिंह ।
श्री कार्यानन्द शर्मा ।
श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह ।
श्री शिवमहादेव प्रसाद ।
श्री श्याम सुन्दर प्रसाद ।
श्री भगवान सिंह ।
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा ।
श्री रामानन्द तिवारी ।
श्री दशरथ तिवारी ।
श्री बद्री सिंह ।
श्री विपिन बिहारी सिंह ।
श्री रामाधार दुसाध ।
श्री राम अशीश सिंह ।
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह ।
श्री अम्बिका प्रसाद सिंह ।
श्री देवनन्दन प्रसाद ।
श्री गोपाल रविदास ।
श्री हेमलाल प्रगनैत ।
डा० जी० पी० त्रिपाठी ।
श्री नन्द किशोर सिंह ।
श्री तारा प्रसाद बख्शी ।
श्री रामेश्वर मांझी ।
श्री शिशिर कुमार महतो ।
श्री श्याम चरण मुर्मू ।
श्री सुपाई सोरेन ।
श्री केदार दास ।
श्री सुखदेव मांझी ।
श्री सनातन समद ।
श्री शरण बालमुच ।
श्री लोपा देवगम ।
श्री हरिचरण सोय ।
श्री यतीनन्द्र नाथ रजक ।
श्री जगन्नाथ महतो ।
श्री बीर सिंह मुन्डा ।
श्री जुलियस मुन्डा ।
श्री फवियानुस उरांव ।
श्री सुकरा उरांव ।

श्री कृपा उरांव।
श्री प्रीतम कुजुर।
श्री इगनेस कुजुर।
श्री लाल जगद्धात्री नाथ साहदेव।
श्री जौन मुंजनी।
श्री राम कृष्ण राम।

"ना"

श्री नरसिंह बैठा।
श्री शुभ नारायण प्रसाद।
श्री राधा पाण्डे।
श्री ब्रजनन्दन शर्मा।
श्री बिटू राम।
श्री मद्दूर रहमान।
श्री विभीषण कुमार।
श्री ध्रुवनारायण मणी त्रिपाठी।
श्री अब्दुल गफूर।
श्री जनार्दन सिंह।
श्री जवार हुसैन।
श्री राम बसावन राम।
श्री गिरीश तिवारी।
श्री कृष्ण कान्त सिंह।
श्री कमरुल हक।
श्री दीप नारायण सिंह।
श्री हरिवंश नारायण सिंह।
श्री चन्दू राम।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही।
श्री राम गुलाम चौधरी।
श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह।
श्रीमती राम दुलारी शास्त्री।
श्री रसिक लाल यादव।
श्री शेख सुइयूल हक।
श्री यदुनन्दन सहाय।
श्री मिश्री सिंह।
श्री वैद्यनाथ मेहता।
श्री रुद्र लाल मेहता।
श्री उपेन्द्र नारायण सिंह।
श्री राम नारायण मंडल।
श्री कमलदेव नारायण सिंह।
श्री भोला पासवान शास्त्री।
श्री ब्रज बिहारी सिंह।
श्री बासुदेव प्रसाद सिंह।
श्रीमती पार्वती देवी।
श्री जीतू किस्कू।
श्री मंजू लाल दास।
श्री भोला नाथ दास।
श्री शीतल प्रसाद भगत।
श्री मौलवी समीनुद्दीन।
श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह।
श्री भागवत मुर्मू।
श्री हरि प्रसाद शर्मा।
श्री वासुकी नाथ राय।
श्री योगेन्द्र महतो।
श्री घनश्याम सिंह।
श्री केदार नारायण सिंह आजाद।
श्री सदा मिश्री।
श्री अग्रदेव नारायण सिंह।
श्री सरयू प्रसाद सिंह।
श्री मेदनी पासवान।
श्री हरिहर महतो।
श्री राम चरित्र सिंह।
श्री बलदेव प्रसाद।
श्री लाल सिंह त्यागी।
श्री नवल किशोर सिंह।
श्री राम खेलावन सिंह।
श्री राम शरण साव।
श्री अमन प्रसाद।

श्री ललन प्रसाद सिंह।
श्री दुलार चन्द राम।
श्री जगदीश प्रसाद।
श्रीमती मनोरमा पांडेय।
श्रीमती सुमित्रा देवी।
श्री शिवपूजन राय।
श्री बुद्धन मेहता।
श्री कामेश्वर शर्मा।
श्री फिदा हुसेन।
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा।
श्री रामेश्वर मांझी।
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह।
श्री सरयू प्रसाद सिंह।
श्री सैयद मोहम्मद लतीफुर रहमान।
श्री हरदेव सिंह।
श्री मंजूर अहमद।
श्री राम स्वरूप प्रसाद यादव।
श्री राम लाल चमार।
श्री हरदराज प्रसाद शर्मा।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शर्मा।
श्री कृपा उरांव।
श्री उमेश्वरी चरण।

पक्ष में —६९।
विपक्ष में—८१।
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

Legislative Business:

Official Bill :

बिहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, युनिवर्सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर एंड रांची) अमेंडमेंट बिल, १९६१ (१९६१ की वि० स० १)।

THE BIHAR STATE UNIVERSITIES (PATNA, UNIVERSITY OF BIHAR, BHAGALPUR AND RANCHI) AMENDMENT BILL, 1961 (L.A. BILL NO. 1 OF 1961).

श्री कृष्णकान्त सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि बिहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, युनिवर्सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर एंड रांची) (अमेंडमेंट) बिल, १९६१, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, युनिवर्सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर एंड रांची) (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णकांत सिंह— मैं उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री कृष्णकांत सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, युनिवर्सिटी आफ बिहार, भागलपुर एंड रांची) (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ पर विचार हो। हुजूर, इसमें कुछ कहना आवश्यक नहीं है, सारी बातें कही जा चुकी है। इसमें कोई नयी बात नहीं है, केवल एक ही बात है वह यह है कि कोर्ट में मुकदमा चला जाने के कारण लाचारी स्वरूप एक्सटेन्शन मांगा जा रहा है। अगर एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा तो सारा काम सुचारुरूप से चलना मुश्किल हो जायगा। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिल पर माननीय सदस्यगण अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

*श्री बद्री सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, युनिवर्सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर एन्ड रांची) अमेंडमेंट बिल, १९६१ को एक प्रवर समिति को इस आदेश के साथ भेजा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे।

अध्यक्ष महोदय, बिल को विचार के लिये प्रस्तुत करते समय हमारे उप-शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बिल के विरोध की जरूरत नहीं है। चूंकि न्यायालय में मुकदमें पेश कर दिये गये हैं इसलिये विश्वविद्यालयों के प्रशासन चलाने के लिये वाइस-चान्सलरों को अधिकार देना जरूरी है। और इसलिये वे चाहते है कि वाइस-चान्सलर को अपने कर्त्तव्य पालन के लिये ६ महीने का समय दिया जाय। यह ठीक है कि अवधि बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिये राज्य के कोने-कोने से यह मांग की गयी थी कि इस शिक्षा के प्रशासन क विकेन्द्रित किया जाय। इसलिये जनता की मांग को मानकर सरकार ने ४ युनिर्वासिटी कायम की और चारों यूनिवर्सिटियों के संगठन के लिये अलग-अलग कानून बनाया गया। जिस समय इन यूनिवर्सिटियों का निर्माण हो रहा था उन दिनों हमारे उप-शिक्षा मंत्री ने जैसी तत्परता दिखलायी थी उससे ऐसा मालम पड़ता था कि हमारे उप-शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि शिक्षा की प्रगति तीव्रतर गति से हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त जिन बातों को उन्होंने बतलाया था और जिस वक्त इस बिल को सदन में पास किया गया था, हालांकि कुछ बातें ऐसी थी जिसको सदन के लोग नहीं चाहते थे, उससे हम उम्मीद करते थे कि इस ऐक्ट के पारित होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी हुई है उसका तत्काल निराकरण होगा। जहां तक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने का प्रश्न है....

अध्यक्ष—यह सब असंगत है।

श्री बद्री सिंह—मैं कहना चाहता हूं कि उनका सारा उद्देश्य जिसके लिये उन्होंने यह ऐक्ट जुलाई, १९६० में पास किया था, वह निरर्थक हो गया।

अध्यक्ष—आप यह बतलाइये कि इस बिल को आप क्यों सिलेक्ट कमिटी में देना चाहते हैं। आप इसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं।

श्री बद्री सिंह—मैं यह कह रहा था कि इन्होंने वाइस-चान्सलर को ६ महीने का समय देकर कहा था कि वे इस अवधि में यूनिवर्सिटी का संगठन कर लेंगे। लेकिन वे ऐसा नहीं किये। जो जिम्मेवारी दी गयी थी उसको ठीक तरह से नहीं निभाया....

अध्यक्ष—आप यह बतलाइये कि जो बिल आपके सामने है उसमें क्या संशोधन लाना चाहते हैं।

श्री बद्री सिंह—मैं चाहता हूं कि वाइस-चान्सलर ने जो नमूना पेश किया है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि आप ६ महीने के लिये वाइस-चान्सलर को जो अधिकार दे ने जा रहे हैं उसपर काफी नियंत्रण होना चाहिये। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पिछले ६ महीने में वाइस-चान्सलर खासकर पटना यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर ने जो पक्षपात पूर्ण नीति अख्तियार की थी, नियम की अवहेलना की थी उसको रोकने के लिये आप कौन-सा तरीका अख्तियार करने जा रहे हैं। इसके लिये आपको सोचना होगा। हो सकता है कि सिलेक्ट कमिटी एक एडवायजरी कमिटी मुकर्रर करे जो वाइस-चान्सलर को सलाह देकर इन्साफपूर्वक यूनिवर्सिटी के काम को सम्पन्न करा सके। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर पिछले कार्यों को देखते हुए इस तरह का अनियन्त्रित अधिकार नहीं देना चाहिये। इसलिये मैं कहूंगा कि जो उनकी कारंवाई हुई है उसको देखते हुए उनको ६ महीने का और अधिकार देना उच्च शिक्षा के विकास के लिये घातक है क्योंकि माननीय उप-शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम अपने उत्तरदायित्व को ठीक से पालन नहीं कर सके हैं क्योंकि हाईकोर्ट में केसेज थे।

अध्यक्ष—समय पर काम नहीं करने के कारण यह बिल लाया गया है।

श्री बद्री सिंह—मैं आपकी बात मानता हूं और समय पर काम नहीं करना भी अयोग्यता का नमूना है। यह तो उप-मंत्री ने खुद माना है कि वे समय पर काम नहीं कर सके। लेकिन जिन कामों को इन्होंने किया है उसमें भी इन्होंने पक्षपात किया है। उदाहरण के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी में जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने तीन-तीन बार अयोग्य साबित किया है। इस तरह उन्होंने अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की है और पक्षपात किया है।

अध्यक्ष—अवहेलना की बात हो सकती है परन्तु यहां तो प्रश्न है कि समय पर काम नहीं किया गया।

श्री बद्री सिंह—ठीक है लेकिन क्या सबूत है कि समय बढ़ा देने से ये काम ठीक से करेंगे? मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय और मैं प्रवर समिति

के समक्ष इन सारी बातों को रखना चाहता हूं और इस सभा के समक्ष भी मैं इनके कारनामों को रखना चाहता हूं ताकि सभा को यह विश्वास हो जाय कि इन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।

अध्यक्ष—यदि माननीय सदस्य इस तरह असंगत बातें करेंगे तो मुझे मजबूर होकर बैठने का आदेश देना पड़ेगा।

श्री बद्री सिंह—यदि आप मुझे बोलने से रोक देंगे तो मैं सरकार की त्रुटियों को किस तरह सभा के समक्ष रख सकूंगा। मैं सभा के समक्ष उन बातों को रखना चाहता हूं जिनमें वाइस-चांसलर ने काफी पक्षपात किया है। भिन्न-भिन्न अफसरों की जो नियुक्तियां वाइस-चान्सलर द्वारा की गई हैं वह सही नहीं है। सहसराम कॉलेज में अभी तक कोई कमिटी नियुक्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष—आप इस सभा के माननीय सदस्य हैं। आपको इस तरह स्कोप आफ दी बिल के बाहर नहीं बोलना चाहिये। आप इस नियम को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन फिर भी जान बूझ कर इस तरह संगत बातें कहते हैं। इस बिल के अंदर समय बढ़ाने की बात है और आपको इसी के संबंध में बोलना चाहिये।

श्री बद्री सिंह—इस बिल में नियुक्ति की बात है, नामिनेशन की बात है और एलेक्शन की बात है। एलेक्शन के संबंध में सरकार का कहना है कि हाइकोर्ट में मुकदमें दायर रहने के कारण इस काम में विलम्ब हुआ। लेकिन जहां तक नियुक्ति की बात है मैं कैसे समझूं कि समय बढ़ा देने से पक्षपात नहीं होगा।

अध्यक्ष—तो क्या इसी कारण आप इस बिल को तोड़ देना चाहते हैं? जो एप्वायन्ट-मेंट, नामिनेशन, कोआपशन और एलेक्शन करने थे वह समय पर नहीं हुआ और इसीलिये समय बढ़ाने के लिये यह बिल आया है। आप इस संबंध में संशोधन दे सकते हैं।

श्री बद्री सिंह—जबतक वाइस-चांसलर की खामियों पर मैं प्रकाश न डालूं तबतक संशोशन से कोई लाभ नहीं होगा।

अध्यक्ष—अभी तो कुछ काम भी नहीं हुआ है।

श्री बद्री सिंह—आंशिक तौर पर काम हुआ है लेकिन उसमें पक्षपात किया गया है।

अध्यक्ष—कानून के अनुसार जो बहालियां की गईं क्या उनको आप रद्द कर सकेते हैं।

श्री बद्री सिंह—रद्द तो नहीं कर सकते हैं लेकिन भविष्य के लिये हम रोक लगा सकते हैं। नियुक्ति के संबंध में मुझे यह कहना है कि सहसराम कालेज में....

अध्यक्ष—ये सारी बातें असंगत हैं।

श्री बद्री सिंह—जो नियुक्ति वाइस-चांसलर ने की है वह ठीक नहीं है। जब हम समय बढ़ाने जा रहे हैं तो मुझे यह देखना है कि भविष्य में काम ठीक तरह से चले।

अध्यक्ष—इसीलिये आप इसको अपोज करना चाहते हैं।

श्री बद्री सिंह—अपोज नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी युनिवर्सिटी का क़ाम चले।

अध्यक्ष—हमको कोई एतराज नहीं है, आप अपोज कीजिये।

श्री बद्री सिंह—नहीं, हम चाहते हैं कि उनके अधिकारों पर अंकुश रहे जिनसे उन बातों को फिर नहीं करें जिनके आधार पर यह समस्या खड़ी हो गयी। इसलिये मैं कह रहा था कि सासाराम कॉलेज में .....।

अध्यक्ष—फिर सासाराम कालेज की बात लाये। इसको हम नहीं कहने देंगे।

श्री बद्री सिंह—अच्छा उसको हम छोड़ देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से भिन्न-भिन्न कॉलेजों में मीटिंग करनी चाहिये थी और करते रहे, जिन लोगों को वहां लाते रहे उनको काफी विद्वान होना चाहिये था, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच पॉलिटिक्स और पक्षपात नहीं घुसे इस तरह की बात होनी चाहिये थी।

अध्यक्ष—जो चीज रिलीव्हेन्ट है उसको कहिये।

श्री राम जनम ओझा—मुश्किल यह है कि जिसको वह इम्पॉर्टेन्ट समझते हैं उसको आप इर्रिलिव्हेन्ट समझ लेते हैं।

अध्यक्ष—हाँ, आपके लिये तो सभी चीजें इम्पौर्टेन्ट हैं। लेकिन हमको देखना है कि क्या इम्पौर्टेन्ट है।

श्री बद्री सिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय कि उसमें यह देखना चाहिये था कि किस तरह के आदमियों को वहां देना चाहिये जिससे सही ढंग से कालेज का प्रबन्ध हो और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो।

अध्यक्ष—लेकिन ६ महीने का समय बढ़ा-घटा सकते हैं।

श्री बद्री सिंह---लेकिन पिछले ६ महीने में जो गलतियां उन्होंने की उनकी तरफ में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि आगे उन गलतियों को ये न करें। और मैं ६ महीने का समय इसलिये देना चाहता हूं कि और कोई उपाय नहीं है। इस बिल को तो पास करना ही पड़ेगा लेकिन उसके ऊपर कुछ अंकुश जरूर रखना पड़ेगा ताकि उन्हीं गलतियों को वे आगे नहीं। शिक्षा का अगर स्तर ऊंचा करना है, शिक्षा को अगर आगे बढ़ाना है, उसका विकास करना है तो यह देखना होगा कि युनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग चुने जायं, कॉलेज में जिनको भेजा जायं वे ऐसे लोग हों जो शिक्षा को ऊंचा करने की कोशिश करें। वाइस-चांसलर को ऐसे आदमियों को चुनना चाहिये जो अपना सारा वक्त पढ़ने-लिखने में बितावें और शिक्षा में जिसकी ज्यादे दिलचस्पी हो। लेकिन हमारे माननीय वाइस-चांसलर ने ऐसे व्यक्तियों को चुना है और नियुक्त किया है....

Shri KRISHNA KANT SINGH : I raise a point of order, Sir.

मैं चेयर से जानना चाहूंगा कि क्या हमलोग यहां युनिवर्सिटी के day-to-day working को डिसकस कर सकते हैं ?

अध्यक्ष---मैं भी तो यही बार-बार कह रहा हूं। मैं आपके प्वायंट आफ आर्डर को मानता हूं। वह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल बिल के स्कोप के बाहर है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा---क्या उनकी गलतियों को बताना स्कोप के बाहर की बात है ?

अध्यक्ष---शान्ति, श्री बद्री सिंह को क्या कहना है ?

श्री बद्री सिंह---माननीय उप-शिक्षा-मंत्री ने जो आपत्ति की है....

अध्यक्ष---समय का प्रश्न है उसपर बताइये। आप यह कह सकते हैं कि उनका काम अच्छा नहीं है इसलिये समय नहीं मिलना चाहिये।

श्री बद्री सिंह---मैं समय देना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे वह इसका दुरूपयोग नहीं करें।

अध्यक्ष---आप क्या संशोधन करेंगे ?

श्री बद्री सिंह---हम जो चाहते हैं वह यहां नहीं हो सकता है। यह जब सेलेक्ट कमिटी में जायगा तो वहां सारी बातें आवेंगी और उनपर विचार-विमर्श होगा और वहां

जो आवश्यक संशोधन करना होगा किया जायगा । मैं चाहता हूं कि चुनाव और मनोनयन के लिये जो अधिकार हम देने जा रहे हैं उसके लिये एक ऐडव्हाइजरी कमिटी हो जिसकी राय को मानना वहाइस-चांसलर के लिये कंपलसरी हो ।

अध्यक्ष—सेलेक्ट कमिटी के पावर्स को हम यूजर्प नहीं करना चाहते हैं लेकिन

जिस तरह का संशोधन आप बता रहे हैं वह इसके स्कोप के बाहर है । अब समय सिर्फ २ मिनट रह गया है ।

श्री बद्री सिंह—हुजूर, मैं एक कहानी कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष—अब कहानी का समय नहीं है ।

श्री बद्री सिंह—मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा । कहानी यह है कि एक बुढ़िया

थी जिसकी शादी नहीं हुयी थी और वह अंधी थी । उसने भगवान की बहुत सेवा की और भगवान उसपर खुश होकर बोले कि तुम बर मांगो । उसपर बुढ़िया ने कहा कि भगवान आपका प्रेम मेरे लिये काफी है, मुझे वर नहीं चाहिये । उन्होंने कहा कि तुम वर जरूर मांगो । तब बुढ़िया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मैं अपने नाती को सोने की थाली में खाते हुए देखूं । इस मांग में उसने सब कुछ मांग लिया । उसने अपने लिये शादी मांग ली, लड़का मांग लिया और धन भी मांग लिया । उसी तरह हमारे उप-शिक्षामंत्री जी कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ समय चाहते हैं । लेकिन उसी में सब कुछ इनको मिल जाता है । जरूरत इस बात की है कि इस सूबे में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच पॉलिटिक्स और पक्षपात नहीं आये । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न सेलेक्ट कमिटी में जाये और विचार हो ताकि जो गलतियां उन्होंने की है उनका समाधान हो सके । यहां एसेम्बली में हमको दस, पन्द्रह मिनट का समय मिलता है । हम इसमें न अपनी पूरी बात कह सकते हैं और न कोई दूसरा सदस्य ही कह सकता है । हम आपसे कहेंगे और आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करेंगे कि इसे सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाय क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । अगर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना है और अगर शिक्षक और शिक्षित में सेवा का भाव उत्पन्न करना है, उनको योग्य नागरिक बनाना है तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आदेश पर अपनी बातों को खतम करता हूं हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत-सी ऐसी बातें थीं जिनपर रोशनी पड़ने से सेलेक्ट कमिटी को समस्या का समाधान करने में बहुत सहायता मिलती ।

श्री कृष्णकान्त सिंह—हमारे माननीय मित्र ने कहा कि इसमें नीति का कोई प्रश्न

नहीं है । मैं उनलोगों की बातों की याद दिलाता हूं जिनको उन्होंने खुद बिल बनने के वक्त कहा था । उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट बहुत पावर ले रही है लेकिन आज जिन बातों को कह रहे हैं उनमें और पहली कही हुयी बातों में कोई सामंजस्य नहीं है, अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष—अब तीन बज गये, बजेट के प्रजेन्टेशन का समय हो गया ।